रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 2007/वैशाख 3, 1929

No. 93] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 2007/VAISAKHA 3, 1929

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अप्रैल, 2007

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007

फा. सं. भाप्रविबो/विकाविं/नीप्र/2232/2007.—बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम

इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

2. प्रारंभ

वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 में संशोधन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 में, विनियम 22 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"**सूचना की तामील**

22. इन विनियमों के अधीन जारी सूचना की तामील संबद्ध व्यक्ति को निम्नलिखित रीति से की जा सकेगी, अर्थात् :–

(क) उस व्यक्ति या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेंट) को परिदान या निविदान करते हुए; या

(ख) उसकी प्रति रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा पारेषित करते हुए, उस व्यक्ति या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेंट) को संबोधित, या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कूरियर सेवाओं द्वारा जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जायें या दस्तावेजों के पारेषण के किन्हीं अन्य साधनों द्वारा जिनमें फैक्स संदेश या इलेक्ट्रोनिक डाक सेवा सम्मिलित है जो परिदान का रिकार्ड प्रदान करें; या

(ग) स्टॉक दलाल को तामील के मामले में उसकी तामील संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जा सकेगी; या

(घ) यदि इसकी तामील खण्डों (क), (ख) या (ग) के अधीन नहीं की जा सकती, तो–

(i) उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर इसे लगाते हुए जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है या जो उसका अंतिम ज्ञात निवास-स्थान है, या जिसमें कारबार चलाता है या जो उसका अंतिम ज्ञात कारबार-स्थान है या जिसमें स्वयं अभिलाभ के लिए काम करता,

है या जो उसका स्वयं अभिलाभ के लिए काम करने का अंतिम ज्ञात स्थान है :

परंतु यह कि उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित की जाएगी; या

(ii) बोर्ड के वेबसाइट पर ऐसी सूचना डालते हुए।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में, विनियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति

11क. इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा जारी समन या सूचना की तामील भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 के विनियम 22 में उपबंधित रीति से की जाएगी।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 में, विनियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति

11क. इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा जारी समन या सूचना की तामील भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 के विनियम 22 में उपबंधित रीति से की जाएगी।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में संशोधन

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में, विनियम 44 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति

44क. इन विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा जारी समन या सूचना की तामील भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 के विनियम 22 में उपबंधित रीति से की जाएगी।"

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/69 जेड बी/2007-असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd April, 2007

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MANNER OF SERVICE OF SUMMONS AND NOTICES ISSUED BY THE BOARD) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2007

No. SEBI/LAD/DOP/2232/2007.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market) Regulations, 2003, Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 and Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, namely :—

Short title

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Manner of Service of Summons and Notices issued by the Board) (Amendment) Regulations, 2007.

Commencement

2. They shall come into force onthe date of their publication in the Official Gazette.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002

3. In the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, regulation 22 shall be substituted with the following namey :

"Service of notice

22. A notice issued under these regulations may be served on the concerned person in the following manner, this is to say,—

(a) by delivering or tendering to that person or his duly authorised agent; or

(b) by transmitting a copy thereof by registered post with acknowledgement due, addressed to that person or his duly authorised agent, or by speed post or by such courier services as may be approved by the Board or by any other means of transmission of documents including Fax message or electronic mail service, which affords a record of delivery; or

(c) in case of service upon a stock broker the same may be served through the concerned stock exchange; or

(d) if it cannot be served under clause (a), (b) or (c),—

(i) by affixing the same on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carries on business or is last known to have carried on business or personally works for gain or is known to have last personally worked for gain :

Provided that written report thereof shall be witnessed by two persons; or

(ii) by posting such notice on the Board's website."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003

4. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to the Securities Market) Regulations, 2003, after regulation 11, the following regulation shall be inserted, namely :—

"Manner of service of summons and notices issued by the Board

11A. A summons or notice issued by the Board under these regulations may be served in the manner provided in regulation 22 of the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992

5. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, after regulation 11, the following regulation shall be inserted, namely :—

"Manner of service of summons and notices issued by the Board

11A. A summons or notice issued by the Board under these regulations may be served in the manner provided in regulation 22 of the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997

6. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, after regulation 44, the following regulation shall be inserted, namely :—

"Manner of service of summons and notices issued by the Board

44A. A summons or notice issued by the Board under these regulations may be served in the manner provided in regulation 22 of the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002."

M. DAMODARAN, Chairman

[ADVT. III/IV/69ZB/2007/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.